स्कूल ऑफ एक्सीलैंस इन् पल्मोनरी मेडिसिन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

क्र/स्था/राज/एसईपीएम/2018 - 3221 दिनांक : 23/5/19

// सीमित विज्ञप्ति //

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश फा.क्र .55 /2019/चार/एम सी.सी निर्देश/9179 भोपाल दिनांक 16-04-19 से प्राप्त अनुमति एवं मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ1-3/2018/55-2 दिनांक 26/05/2018, आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/55-2 दिनांक 01/03/2019, एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-57/2018/55-1 दिनांक: 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशैलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 एवं कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 5528/स्था/राज/2018 दिनांक 11/09/2018 के अनुक्रम में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, स्कूल आफ एक्सीलैंस इन पल्मोनरी मेडिसिन के प्राध्यापक (डायरेक्टर) के पद की पूर्ती सीधी भर्ती, सीधी/ पदोन्नति द्वारा सीमित विज्ञप्ति के माध्यम से की जाना है। इस हेतु संस्था स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय दिनांक-24/5/2019 सायं 05.30 बजे तक

प्राध्यापक(डायरेक्टर)

क्र.	पदनाम	--								योग
1	**प्राध्यापक (डायरेक्टर)**	UR		ST		SC		OBC		कुल
		सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	-
		00	01	00	00	00	00	00	00	01

उपरोक्त चिन्हित पदों मे SC= अनसूचित जाति, ST= अनसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित है ।

नोट:- 1.पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है ।

2.भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर www.nscbmc.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जा रही है ।

3.विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्तहोने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेगें।

4.स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन के उपरोक्त प्रदर्शित पदों की भर्ती की पूर्ति स्वीकृत अनुसूची एवं रोस्टर अनुसार सीधीभर्ती, सीधीभर्ती/पदोन्नती द्वारा की जावेगी ।

5.साक्षात्कार की संभावित 25/.4./**2019 समय दोपहर 03:00 बजे** निर्धारित की गई है एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारो की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर जारी की जावेगी तथा ईमेल / फोन द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

6. आवेदन पत्र की पात्रता केवल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कार्यरत सम्बंधित विषयों के उन्ही प्राध्यापक को ही होगी जो शासन/ एमसीआई द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ती करते हों ।

7. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/ स्पीट पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र) की आवक-जावक शाखा में जमा कराए जा सकते हैं।

8. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलैंस इन् पल्मोनरी मेडिसिन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र) शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम.. और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

वेतनमान -:

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	निश्चित मासिक वेतन
1	प्राध्यापक (डायरेक्टर)	37400 - 67000+10000	350000

टीप-: समस्त पदों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान /निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे ।

2. आयु सीमा **न्यूनतम**

प्राध्यापक (डायरेक्टर)- 35 वर्ष

टीप-: आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी को आधार मानकर गणना में ली जायेगी ।

3. पदों का आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

4. जाति प्रमाण पत्र :-आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा ।

5. **अर्हताएं-:**

स. क्र.	अनुसूची 1 का स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शेक्षणिक अर्हताएं	अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2	प्राध्यापक (डायरेक्टर)	35 वर्ष	**As per TEQ regulation of MCI.** 1. Eligibility: Candidate should be eligible for the post of Professor Either in: A. Tuberculosis & Respiratory disease/Pulmonary Medicine (Broad specialty) **OR** B. Pulmonary Medicine (Super specialty) 2. **A. Academic qualification** ***For 1- A***: M.D.(Tuberculosis)/ M.D.(TB & Respiratory Diseases)/ M.D.(Medicine) with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D./ M.D. (TB &Chest Diseases) **B. Academic qualification** ***For 1-B:*** D.M. (Pulmonary Medicine) M.D. (Respiratory Medicine) / M.D. (Paediatrics) / M.D.(Gen. Medicine) — **with2 years Special training in Pulmonary Medicine** **Teaching & Research Experience:** A. ***For 1- A***: As Professor in Tuberculosis and Respiratory Diseases/Pulmonary Medicine (Broad Specialty). ***OR*** B. ***For 1-B:*** As Professor in Pulmonary Medicine (Super-Specialty). 3. Publications: Four Research papers in concerned subject/specialty -accepted/published in index/national journal on cumulative basis. 4. **Authorship:** *As per the norms of MCI TEQ prevailing at the time of publication (First/second /corresponding)*	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएँ ।

1- अनुसूची के कालम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताए स्वयं ही लागू होगी।

2- साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनो अर्हताए निर्धारित कर सकेगी ।

3- अन्य योग्यताएं जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

6 <u>निर्हर्ताएं-:</u>

- विकृत चित्त होने वाला होने पर ।
- दुश्चरित्र होने पर ।
- शारीरिक दुर्बलता होने के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुसंशा करने पर किसी भी उम्मीद्वार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुसंशा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा ।
- विवाह संबंधी - जिस उमीदवार ने निर्धारित न्यूनतम आयु से (पुरुष वर्ग 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा कोई भी ऐसा महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति / पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।
- कूट रचित फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने /अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
- कदाचरण संबंधी-: किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।
- ऐसा उम्मेदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।

- स्वास्थ्य संबंधी -चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त – शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे ।

7 <u>भर्ती की प्रक्रिया -:</u>

7.1 रिक्त पदों की पूर्ती के लिए साधिकार समिति विज्ञप्ति/सीमित विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी ।

7.2 रिक्त पदों की पूर्ती के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों नियत कर सकेगी ।

7.3 चयन समिति मेरिट के आधार पर एवं मेरिट क्रम अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुसंशा देगी ओर तथानुसार वरीयताक्रम क्रम में नियुक्ति की जा सकेगी ।

7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेनी होगी ।

7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची 01 में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन हो जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की गई पूर्व सेवा अवधि एवं वेतनभत्तों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा ।

7.6 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को स्कूल आफ एक्सीलैंस इन् पल्मोनरी मेडिसिन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्वशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय / शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा ।

8. <u>**सेवाशर्ते -:**</u>

8.1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रेक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा ।

8.2 वार्षिक वेतनवृद्धी 08 (आठ) प्रतिशत देय होगी ।

8.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम अधिकारी पात्रतानुसार देय होगा।

8.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु बर्ष में दो बार देश के भीतर एवं एक बार देश के बाहर वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं वर्कशॉप / सेमीनार शुल्क दिया जायग ।

8.4 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायगी । गृह भाड़ा देय नहीं होगा ।

8.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्याधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जायगा :-

(अ) उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत ।

(ब) चिकित्सा शिक्षक व्दारा Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत ।

8.7 चिकित्सा शिक्षक को 3 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 3 बर्ष के पूर्व सेवा सेवा छोड़ने की दशा में 1 वर्ष का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन में जमा करना होगा ।

8.8 साधिकार समिति चिकित्सक को 4 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी ।

8.9 अवकाश,आचरण,एवं अर्धवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र स्वशासी चिकित्सा महाविधालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागु होंगे ।

शेष जो शर्ते मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित है वे लागू होंगी । जिनका अवलोकन संचालक चिकित्शा शिक्षा म.प्र की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in /नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर किया जा सकता है ।

9.आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महविद्यालय जबलपुर में आवेदन पर पत्र दिनांक 25./5./2019 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए । आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा माविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते है । आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महविद्यालय जबलपुर में....................संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करे । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा ।

11.चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भता देय नहीं होगा ।

12.नियुक्ति संबंधी समीचीन नियमो एवम भविष्य में नियुक्तियों/पदोन्नतिया रहेगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध के अधिकार के रूप में मांग नही कर सकेंगे ।

13.उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप नेता जी सुभास चन्द्र बोस महाविद्यालय जबलपुर म.प्र की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है ।

महत्त्वपूर्ण टीप ;-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वय आवेदक की होगी की वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तो को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं करा ले, ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भीं स्तर पर आवेदक अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी । आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्त भी उसमे समाहित रहेगी । चयन होने पर कार्यभार ग्रहण के समय निर्हर्ताए सम्बन्धी बिंदु क्र 06 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज
जबलपुर म.प्र.

आवेदन पत्र का प्रारूप

.. स्कूल आफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन अस्पताल जबलपुर के...पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन - पत्र

(अंतिम तिथि / /)

स्व प्रमाणित फोटो

नोट; सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे ।

1.आवेदक का नाम --

2.पुरुष /महिला --

3.पिता /पति का नाम (उपनाम सहित) ----------------------------------

4.वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)--------------------------------------

---

शहर का नाम --------------फोन नं -- ---

मोबाईल नं ------------------इ मेल आईडी --

5.स्थाई पता --

शहर का नाम -----------------------फोन नं ---

मोबाईल नं --

6.आधर कार्ड नंबर (हो तो)---

7.जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची सलग्न करे)

8. दिनांक 01/01/ को आवेदक की आयु ....दिन .... माह .... वर्ष

9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित

10. विवाह का दिनांक– ....

11. वर्गः अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग .... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनॉक ....

अ. एम.बी.बी.एस.——————————————————

ब. एमडी ——————————————————

स. डीएम————————————————

शैक्षणिक योग्यताऐं:—(प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/ बोर्ड/ वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/ DM /DNB						
6	S.R						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक—पृथक भरे)

नोटः प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :— छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :— छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

16.संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ——————————————————————

स्थान................................

दिनॉक............................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा-पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर